न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 76/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/148

अनवान

1. श्री किशनलाल पिता रूपलाल (आचार्य) जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

...........वादी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पुत्र गोपाल (आचार्य) जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–. :निर्णयः :–

दिनांक : 24.10.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटंवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटंवाडा प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं जताई तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता, तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	किशनलाल पुत्र रूपलाल (आचार्य) ब्राह्मण सा. देह रहन (पूर्ण खाता) जिला उदयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर	4732 4747	0.03 0.21	चाही द्वि. चाही द्वि.	0.78 5.46
	योग	किता 2	0.24	–	6.24
2.	जगन्नाथ पुत्र गोपाल(आचार्य) ब्राह्मण सा. देह खातेदार	4733 4748	0.02 0.21	चाही द्वि. चाही द्वि.	0.52 5.46
	योग	किता 2	0.23	–	5.98

अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:04 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र वहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 76/22 (वाद)

GCMS NO: 2022/148

अनवान

1. श्री किशनलाल पिता रूपलाल (आचार्य) जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

............वादी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पुत्र गोपाल (आचार्य) जाति ब्राह्मण निवासी हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.10.2024 को श्री रमेश चन्द वहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता, तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	किशनलाल पुत्र रूपलाल (आचार्य) ब्राहम्ण सा. देह रहन (पूर्ण खाता) जिला उदयपुर सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर	4732 4747	0.03 0.21	चाही द्वि. चाही द्वि.	0.78 5.46
	योग	किता 2	0.24	–	6.24
2.	जगन्नाथ पुत्र गोपाल(आचार्य) ब्राहम्ण सा. देह खातेदार	4733 4748	0.02 0.21	चाही द्वि. चाही द्वि.	0.52 5.46
	योग	किता 2	0.23	–	5.98

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:51:04 IST
Reason: SelfAttested